न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- चतुर्थ, सहारनपुर
CNR No- UPSP040517752026
सरकार बनाम घूसी उर्फ राहत हुसैन

धारा- 109(1), 3(5) बीएनएस
3/5A/8 सीएस एक्ट
थाना- गंगोह, सहारनपुर
मु.अ.सं.- 373 / 2026

11.08.2026

मु.अ.सं.- 373 / 2026, धारा- 109(1), 3(5) बीएनएस व 3/5A/8 सीएस एक्ट, थाना - गंगोह, जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी / अभियुक्त **घूसी उर्फ राहत हुसैन** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन कि प्रार्थी को वाद उक्त में अभियुक्त बनाया गया है। वाद उक्त में कोई भी साक्षी पब्लिक का नहीं है जिससे भी कहानी अभियोजन पक्ष झूठी व फर्जी साबित होती है। अभियुक्त जिला कारागार में है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर अधिरोपित धारा अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तद्नुसार प्रार्थी / अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी / अभियुक्त **घूसी उर्फ राहत हुसैन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मीनल चावला)
J.O. Code– UP2448
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– चतुर्थ
सहारनपुर